ई-1852657

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 16-10-2024

विषयः- जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध 02 विचाराधीन बंदियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-30196/सामा-1(5)/67/बन्दी स्था0/2024, दिनांक 04-10-2024 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित विचाराधीन 02 बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	विचाराधीन बन्दियों के नाम/पिता के नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम, जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
01	अतिन जफर पुत्र श्री जफरउल्ला बन्दी संख्या-3014/2023 यू0टी0	जिला कारागार, रामपुर	जिला कारागार,झांसी
02	कमलवीर पुत्र श्याम सिंह बन्दी संख्या-567/2024 यू0टी0 -- 28/2024 सी0टी0	जिला कारागार, रामपुर	जिला कारागार, संतकबीरनगर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4-जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर/झांसी/संतकबीरनगर।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रामपुर/झांसी/संतकबीरनगर।

6- वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक,जिला कारागार, रामपुर/झांसी/संतकबीरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों के कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in